कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)

ccfkanker3@gmail.com (07868) 222014 (07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./न.क्र.138/2020/6321 कांकेर, दिनांक/07/10/2020

प्रति,

श्री अरविन्द पी.एम., (भा.व.से.)
वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वनमंडल

विषयः– **Diversion of Forest land for non-forest Purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed for BharatNet Phase-II Kanker Division "BharatNet Project which is a GOI initiative , Under this project , connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 Km.The laying of Optical Fiber cable of 32,466 Km Will be involve 26 Districts across the State" Area - 4.53 ha.**

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. नवा रायपुर के पत्र क्रमांक /भू–प्रबंध/विविध/115–821/1768 दिनांक 07.10.2020

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। छ.ग. शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 5–11/2020/10–2 दिनांक 27.08.2020 द्वारा 03 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में चाही गई अतिरिक्त जानकारी अविलम्ब उपलबध करावें। प्रतिवेदन सूचनार्थ अग्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक,
कांकेर वृत्त, कांकेर

पृ.क्रमांक/मा.चि./न.क्र.138/2020/6322 कांकेर, दिनांक/07/10/2020

प्रतिलिपि :–

1. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर** को संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. **प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन रायपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,
कांकेर वृत्त, कांकेर

Received Email 07/10/2020

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–826/1762 नया रायपुर, दिनांक 07/10/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर
छत्तीसगढ़

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Kanker Division" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 4.53 ha. regarding**
पंजीयन क्रमांक –FP/CG/OFC/42451/2019

संदर्भः– छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ– 5–11/ 2020/ 10–2 दिनांक 27.08.2020

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें (छाया प्रति संलग्न)। उक्त प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 3 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

अतएव संदर्भ पत्र में दर्शाये अनुसार बिन्दुवार जानकारी शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– संदर्भित पत्र की छाया प्रति (दो पृष्ठीय)

मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 826/1769 रायपुर, दिनांक 07/10/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **वन मंडलाधिकारी**, कांकेर वन मंडल, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ—5—11 / 2020 / 10—2 नवा रायपुर, दिनांक 27/08/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः— Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for the Bharat Net Phase -II Kanker Division" Bharat Net project. which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optical fiber cable laying of approximately 32,466 KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area - 4.53 ha. regarding .

संदर्भः— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) का पत्र क्र. / भू—प्रबंध / विविध / 115—826 / 1494, दिनांक 13.08.2020 ।

----00----

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । विषयांकित प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :—

1. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 4 से 13 मे वर्णित वन क्षेत्र विवरण में राजस्व वन भूमि के गणना पत्रक के अनुरूप संरक्षित वन भूमि, आरक्षित वन भूमि तथा नारंगी वन भूमि का कक्षवार विवरण संबंधी गणना पत्रक अलग—अलग नहीं दिया गया है।
2. प्रस्ताव के चेक लिस्ट क्र. 4 अनुसार गैर वन क्षेत्र का विवरण दिया जाना है। प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 14 में केवल गैर वन क्षेत्र का रकबा दर्शाया गया है ग्रामवार / खसरावार विस्तृत विवरण दर्ज नहीं है।
3. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 51 में वनमंडलाधिकारी कांकेर द्वारा अपनी अनुशंसा भाग—II में प्रदाय की गई है। उक्त भाग—II में केवल 4.144 है वन भूमि के व्यपर्वतन की अनुशंसा की गई है इसमे राजस्व वन भूमि का उल्लेख नही है। प्रस्ताव 4.53 हे. वन भूमि व्यपर्वतन से संबंधित है। कृपया **वनमंडलाधिकारी कांकेर से संपूर्ण 4.53 हे. वन भूमि व्यपर्वतन से संबंधित भाग—II में अनुशंसा प्राप्त** कर प्रस्तुत करें।

2/— कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर उल्लेखित त्रुटियों के अनुरूप संशोधित पत्राचार / जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके उपरांत प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

क्रमश 2

पृष्ठां.कमांक एफ–5–11 / 2020 / 10–2 नवा रायपुर, दिनांक 27 / 08 / 2020

प्रतिलिपि :–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

2.मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर, छत्तीसगढ।

3.वनमंडलाधिकारी, कांकेर वनमंडल, कांकेर, छत्तीसगढ़।

4.आवेदनकर्ता, प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, तृतीय तल स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग